

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापूर सिटी

जिला- सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम-श्री नवरत्न कोली, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
19/2020	अपील	26.08.2020	26.03.2021

नारायण पुत्र चन्दा, जाति रैगर, निवासी उमरी, तहसील गंगापूर सिटी, जिला-सवाई माधोपुर (राजस्थान) -अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार गंगापूर सिटी (जिला सवाई माधोपुर) -रेस्पॉन्डेंट

निर्णय

दिनांक-26.03.2021

1. यह अपील अपीलार्थी द्वारा निर्णय नायब तहसीलदार, गंगापूर सिटी उनवानी मुकदमा सरकार बनाम नारायण, मुकदमा नंबर-48/2019 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक-15.11.2019 के विरुद्ध पेश की है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि पटवारी हल्का उमरी ने अपीलार्थी के विरुद्ध भूमि खसरा नम्बर 758 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म भूमि गैरमुमकिन रास्ता पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने से संबंधित एक रिपोर्ट नायब तहसीलदार गंगापूर सिटी के समक्ष प्रस्तुत की। उक्त रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार गंगापूर सिटी ने एकतरफा कार्यवाही करते हुए 60 दिन के सिविल कारावास एवं लगान के 50 गुना शास्ति से दण्डित किये जाने का आदेश दिनांक 15.11.2019 पारित किया है। जिससे व्यस्थित होकर अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है।
3. अपील में अपीलार्थी ने आगे निवेदन किया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.11.2019 पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं विधि के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया और एकतरफा कार्यवाही की है जो प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को पश्चात्पूर्ती अतिक्रमी मानने में भारी कानूनी भूल की है। प्रार्थी पश्चात्पूर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में नहीं आता है। पत्रावली में ऐसी कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। जिससे यह साबित होता हो कि अपीलार्थी को वास्तविक रूप से भौतिक रूप से कब्जे से बेदखल किया गया है। पूर्व बेदखली की कोई स्वतन्त्र साक्ष्य नहीं है। पटवार हल्का से अपीलार्थी को जिरह का कोई अवसर नहीं मिला है। ऐसे एकतरफा बयानों पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विश्वास कर कानूनी भूल की है। मौके पर भूमि बिल्कुल खाली है। परन्तु पटवारी हल्का ने गलत फहमी में अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। श्रीमानजी चाहे तो मौका दिखाकर रिपोर्ट तलब कर ली जावे। अपीलार्थी को उक्त निर्णय दिनांक 15.11.2019 की कोई जानकारी नहीं रही थी। दिनांक 23.8.2015 को थाना सदर गंगापूर सिटी का सिपाही अपीलार्थी के वारंट लेकर गांव उमरी पहुँचा और उक्त निर्णय बावत बताया तब अपीलार्थी ने दिनांक 24.8.2020 को निर्णय की नकल लेने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश किया। उक्त आदेश नकल दिनांक 24.8.2020 को प्राप्त हुई तब उक्त निर्णय की जानकारी अपीलार्थी को है इससे पूर्व उक्त निर्णय की अपीलार्थी को कोई जानकारी नहीं रही है। नकल प्राप्त की दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश है। प्रार्थना-पत्र धारा 5 कानून मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत है। अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार अदालत हाजा को प्राप्त है। अन्य उजात वरवक्त बहस जुबानी अर्ज किये जावेंगे।

17

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापूर सिटी (राज0)

4. अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी दिनांक 15.11.2019 को निरस्त फरमाया जावे।
5. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रैस्पोंडेंट जरिये नोटिस की गई एवं मिसल अदालत मातहत तलबी की गई। रैस्पोंडेंट बावजूद सूचना उपस्थित नहीं।
6. बहस वकील अपीलार्थी सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा है कि अपीलार्थी पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की अवहेलना की है, अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।
7. हमने अपील तथा मिसल अधीनस्थ न्यायालय का आद्योपान्त सूक्ष्म अवलोकन व मनन किया। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा की गई बहस पर भी सूक्ष्म रूप से मनन किया।
8. प्रार्थना पत्र तहत धारा 5 मियाद अधिनियम को हम न्यायहित में स्वीकार करते हैं। हमने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का भी समग्र अवलोकन किया। अपीलार्थी की अपील को इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि वह उस पर आरोपित शास्ति व अन्य सरकारी देयता को राजकोष में नियमानुसार जमा करायेगा तथा इस आशय का शपथ पत्र नायब तहसीलदार, गंगापुर सिटी को पेश करेगा कि वह भविष्य में कभी किसी सरकारी भूमि/सम्पत्ति पर अतिक्रमण नहीं करेगा। नायब तहसीलदार, गंगापुर सिटी स्वयं मौके पर जाकर यह तस्दीक करेगा कि अपीलार्थी ने प्रश्नगत भूमि से अपना कब्जा हटा लिया है तथा भूमि पूर्णतया अतिक्रमण मुक्त हो चुकी है। इस निर्णय के पारित होने के 30 दिवस के अन्दर अपीलार्थी यदि उक्त शर्तों की पालना करता है तो अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, गंगापुर सिटी का आदेश सिविल कारावास की हद तक अपास्त माना जावे अन्यथा कथित आदेश अपीलार्थी के विरुद्ध स्वतः जीवित रहेगा।

आदेश

अतः अपीलार्थी की अपील को इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि वह उस पर आरोपित शास्ति व अन्य सरकारी देयता को राजकोष में नियमानुसार जमा करायेगा तथा इस आशय का शपथ पत्र नायब तहसीलदार, गंगापुर सिटी को पेश करेगा कि वह भविष्य में कभी किसी सरकारी भूमि/सम्पत्ति पर अतिक्रमण नहीं करेगा। नायब तहसीलदार, गंगापुर सिटी स्वयं मौके पर जाकर यह तस्दीक करेगा कि अपीलार्थी ने प्रश्नगत भूमि से अपना कब्जा हटा लिया है तथा भूमि पूर्णतया अतिक्रमण मुक्त हो चुकी है। इस निर्णय के पारित होने के 30 दिवस के अन्दर अपीलार्थी यदि उक्त शर्तों की पालना करता है तो अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, गंगापुर सिटी का आदेश सिविल कारावास की हद तक अपास्त माना जावे अन्यथा कथित आदेश अपीलार्थी के विरुद्ध स्वतः जीवित रहेगा।

निर्णय की एक प्रति एवं मूल मिसल अदालत मातहत संबंधित न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक:-26.3.21 को सरे इजलास सुनाया।



(नवरत्न कोली)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
आतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (सं.मा०)